लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 791

उत्तर देने की तारीख : 24.07.2025

अकोला में एमएसएमई

791. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के अकोला जिले में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को और यह देखते हुए कि अकोला सबसे बड़ा कपास उत्पादक जिला है विशेष रूप से कपास उद्योग को क्या विशिष्ट सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) अकोला में एमएसएमई के बीच ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है; और

(ग) अकोला में कितने एमएसएमई इन निर्यात संवर्धन पहलों से लाभान्वित हुए हैं तथा इस क्षेत्र में और अधिक एमएसएमई को समर्थन देने के लिए इन पहलों का विस्तार करने की क्या योजना है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एक स्कीम नामत: "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम" क्रियान्वित करता है जिसका उद्देश्य विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और समर्थन देकर निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए एमएसएमई की क्षमता का निर्माण करना है, साथ ही अकोला सहित पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति करना है। स्कीम के निम्नलिखित घटक हैं:

बाज़ार विकास सहायता (एमडीए): इस घटक के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों में उद्योग/सरकारी संगठनों के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडलों में प्रदर्शकों के रूप में एमएसएमई की सहभागिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

फर्स्ट टाइम निर्यातकों का क्षमता निर्माण (सीबीएफ़टीई): यह सूक्ष्म एवं लघु निर्यातकों को, 3 वर्षों के लिए आईईसी कोड/पंजीकरण के साथ, पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) को भुगतान किए गए शुल्क/फीस से संबंधित खर्चों, निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) को भुगतान किए गए निर्यात बीमा प्रीमियम, तथा निर्यात के लिए परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन के लिए, प्रतिपूर्ति प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के तहत विगत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के समर्थित एमएसएमई का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

वित्तीय वर्ष	सहायता प्रदत्त एमएसएमई की संख्या	निर्गत राशि (रुपए में)
2023-24	122	4,72,15,131
2024-25	65	2,13,11,721

इसके अतिरिक्त, विदेशी बाज़ार में एमएसएमई के उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात में वांछित सलाह एवं हेंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न फील्ड कार्यालयों में, महाराष्ट्र में 05 ईएफ़सी सहित, देश भर में डीएफ़ओ/टूल रूम/परीक्षण केन्द्रों के रूप में 65 निर्यात सुविधा केन्द्रों (ईएफ़सी) की स्थापना की गई है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफ़टी) ने ई-कॉमर्स के माध्यम से एमएसएमई के निर्यात को बढ़ाने में एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को सहायता प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब (ईसीईएच) की परियोजना की शुरुआत की है। इन हबों का उद्देश्य शीघ्र मंजूरी और सरल रिटर्न प्रबंधन के साथ क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स निर्यात के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करने के द्वारा विनियामक तथा लॉजिस्टिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना है।

*****